राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3920 / 2025

धनीराम प्रजापत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार सिकरी, डीग से नायब तहसीलदार, कुडगांव जिला करौली कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2022 (अनुलग्नक–2) एवं आदेश दिनांक 09.03.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को बाड़ी से नादौती कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.11.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली से नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय सीकरी, जिला भरतपुर में किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को समायोजित किये जाने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है, जिनका निरन्तर इलाज चल रहा है। स्थानान्तरण किये जाने से विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पडेगा।
3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य